पत्रांक–2 / नि०–02 / 2019–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

छिरिङ वाई. भूटिया,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– / /2026

विषय : **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 534 प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 06 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 61 अनुमंडलीय अस्पताल, 25 सदर अस्पताल, 08 ट्रॉमा सेन्टर एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में बिहार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के कुल 671 (छः सौ इकहत्तर) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।**

महाशय,

बिहार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) का वर्त्तमान में वास्तविक स्वीकृत बल–110, कार्यरत बल–89 एवं शुद्ध रिक्ति–21 है। रोस्टर निर्धारण करने के क्रम में कार्यालय द्वारा टकण भूलवश स्वीकृत बल–110 के स्थान पर 210 अंकित हो जाने के कारण वास्तविक रिक्ति 21 के स्थान पर 121 पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लीयरेन्स पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभाग द्वारा 121 पदो की अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी। वर्त्तमान में आयोग द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के पद पर नियुक्ति हेतु 121 अधियाचित पदों के विरुद्ध 77 योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि 21 रिक्त पद के विरुद्ध 77 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई करने में कठिनाई है। यह भी उल्लेखीय है कि आयोग के द्वारा विभाग को योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा भेजने से पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने से लेकर आवेदन प्राप्त करने, लिखित परीक्षा आयोजित करने एवं परीक्षाफल घोषित करने आदि में एक लम्बी विहित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें काफी लम्बा समय भी लगता है।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) की घोर कमी है। उक्त संबंध में सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–02.12.2025 को विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आहूत की गयी। उक्त समीक्षा बैठक के क्रम में विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा यह पाया गया कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों (हड्डी रोग) की सेवा प्रखण्ड स्तर/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। साथ ही राज्य में सृजित ट्रॉमा सेन्टर एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि तथा ईलाज की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता है।

451(2)
24/2/26

Bhutia
23/2/26

Desk-02>Dhan>Draft>letter>Vikas>26

4. ऐसी स्थिति मे राज्य की जनता को प्रखण्ड स्तर तक हड्डी रोग से सबधित बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा आयोग द्वारा क्रिये गये अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित 77 अभ्यर्थियों को समायोजित/नियुक्त करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता है। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के कुल 660 (छः सौ साठ) अतिरिक्त पदो का सृजन करते हुए आयोग से अनुशंसित 77 अभ्यर्थियो का विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के पद पर नियुक्ति--सह--पदस्थापन की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

5. उल्लेखनीय है कि सात निश्चय–3 (2025–2030) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं इनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना से संकल्प संख्या–1587 दिनाक–16.12.2025 निर्गत है। उक्त संकल्प की कडिका–5 (सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन) की उप कंडिका–क मे प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता है।

6 उक्त संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 400 शैय्या वाले नये भवन के निकट भविष्य में निर्माण के फलस्वरूप हड्डी रोग से संबधित मरीजों की संख्या को देखते हुए उक्त अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के 21 (इक्कीस) अतिरिक्त पदो के सृजन किया जाना अपेक्षित है।

7. वर्णित परिपेक्ष्य मे बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा, पदाधिकारी (हड्डी रोग) के कुल 671 (छ. सौ इकहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है। उक्त नवसृजित पदों की संस्थानवार विवरणी निम्नवत है:–

क्र०सं०	संस्थान का नाम	पूर्व से सृजित पद	नवसृजित पद	वेतनमान
i	सभी प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (कुल संख्या–534)	0	534 × 1 = 534	Level-11
ii	06 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	6 × 1 = 6	Level-11
iii	सभी अनुमंडलीय अस्पताल (कुल संख्या–61)	61 × 1 = 61	61 × 1 = 61	Level-11
iv	सभी 100 शैय्या वाले सदर अस्पताल (कुल संख्या–17)	17 × 1 = 17	17 × 1 = 17	Level-11
v	सभी 500 शैय्या वाले सदर अस्पताल (कुल संख्या–8)	0	8 × 2 = 16	Level-11
vi	08 ट्रॉमा सेन्टर	0	8 × 2 = 16	Level-11
vii	लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना	1 × 4 = 4	1 × 21 = 21	Level-11
	कुल –	82	671	

451(2) 21/2/26

Desk-02>Dhan>Draft>letter>Vikas>26

8. इन सृजित किये गए पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 1,02,92,54,952/– (एक अरब दो करोड बानबे लाख चौवन हजार नौ सौ बावन रूपये) मात्र संभावित है (अनुलग्नक–1)।

9. इन सृजित किये गए पदों पर होने वाले व्यय का वहन माग संख्या–20 के अन्तर्गत मुख्य बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी सबंधित कोषागार से की जायेगी।

11. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबधित संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

12. प्रस्ताव मत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–20.02.2026 में मद सख्या–27 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत है।

13. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(छिरिङ वाई. भूटिया)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–2/नि०-02/2019– 451 (2) **पटना, दिनांक** 24/2/**2026**

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–20.02.2026 में मद सं०–27 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी सयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी निदेशक प्रमुख/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सभी नियंत्री पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Bhutia 23/2/26

सरकार के विशेष सचिव।